

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी-रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस

अपील संख्या: 117/12

निर्णय दिनांक:- 19-12-2019

1. जुगलकिशोर पुत्र नेमचन्द जाति गहलोत निवासी रेल्वे स्टेशन सामने रूपम होटल के पीछे, बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. मोहनलाल
2. लक्ष्मण
3. गोपीलाल
4. भारत कुमार
5. भीखीदेवी
6. श्रीमती बुलाकी
7. श्रीमती पपला

पुत्र/पुत्रियाँ दानाराम जाति मेघवाल निवासी  
पाबूबारी के बाहर, बीकानेर हाल बालबाड़ी  
दाईयाँ जिला बीकानेर।

—रेस्पोंडेन्ट्स



अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31-07-2012  
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थित:

1. श्री विनय प्रताप यादव, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियों, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31-07-2012 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा विधि विरुद्ध तरीके से खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

राजस्थान अपील प्राधिकारी  
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट/वादी की ग्राम नालबड़ी में खसरा नम्बर 6/2 तादादी 14 बीघा 05 बिस्वा भूमि खरीदशुदा भूमि है। जिस पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि का इंतकाल भी अपीलांट के नाम से

राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। मौके पर पानी का कुण्ड बना हुआ है तथा अपीलांट परिवार सहित मौके पर निवास कर रहा है। वादग्रस्त भूमि से रेस्पोजेन्ड्स/प्रतिवादीगण का कोई सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण वादी की खरीदशुदा भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए के तहत प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादीगण को चिरनिषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में तमाम दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये थे। जिससे प्रथम दृष्टया ही अपीलांट का वाद साबित होता था। फिर भी अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड का अवलोकन किये मात्र अपीलांट के वादपत्र को खारिज करने के उद्देश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के वादपत्र पर तनकीयात् कायम की गई कि आया कि वादी वापत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त तनकी के संबंध में अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में बैयनामा, खसरा गिरदावरी संवत् 2068-2071, जमाबन्दी संवत् 2068-2071 प्रस्तुत किये गये थे जिससे साबित थे कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट की खरीदशुदा व कब्जे काश्त की भूमि रही है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर उक्त तनकी अपीलांट के विरुद्ध तय करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है। इसी प्रकार अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 2 को निर्णित करते समय यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वादी/अपीलांट का खसरा नम्बर 7 पर कब्जा साबित नहीं है। इसी प्रकार तनकी संख्या 4 व 5 को इस आधार पर अपीलांट/वादी के विरुद्ध निर्णित किया गया है कि अपीलांट/वादी द्वारा किसी प्रकार की मौखिक व लिखित साक्ष्य पेश नहीं की गई है। जबकि अदालत मातहत द्वारा स्वमेव तनकी संख्या 1 को निर्णित करते समय अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट/वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में बैयनामा, जमाबन्दी संवत् 2068-2071 व खसरा गिरदावरी संवत् 2068-2071 प्रस्तुत की गई है। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा अपने लिखित अभिकथनों के विपरीत जाकर उक्त तनकी अपीलांट/वादी के विरुद्ध तय करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट/वादी द्वारा खरीदशुदा भूमि ग्राम नालबड़ी के खेत खसरा नम्बर 6/2 तादादी 14 बीघा 05 बिस्वा भूमि जिसके दौरान सेटलमेंट खसरा नम्बर 7 तादादी 2098 हेक्टर पैमूद हुए हैं, की बानाफाईड परचेजर है। उक्त तथ्य तहसीलदार (भू-अभिलेख), बीकानेर द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल से साबित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।



अधीनस्थ न्यायालय  
बीकानेर

4. रेसपोडेन्ट संख्या 1 ता 7 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध दिनांक 04-10-2018 को एकतरफा कार्यवाही की गई है।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का हक व हकूक साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपीलांट का दावा साबित नहीं होने की स्थिति में अपीलांट का वादपत्र खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।



हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादगत भूमि वाके रोही ग्राम नालबड़ी के खेत खसरा नम्बर 6/2 तादादी 14 वीघा 05 विस्वा भूमि के बाबत दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, उपलब्ध दस्तावेजों व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट की खरीदशुदा भूमि है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र पर तनकी संख्या 1 कायम की गई कि आया कि वादी वापत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त तनकी को साबित करने हेतु अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बैयनामा करतार सिंह व दरबारासिंह बहक वादी दिनांक 09-05-2003 जोकि सब-रजिस्ट्रार, बीकानेर के कार्यालय में पंजीकृत है, नकल खसरा गिरदावारी संवत् 2068-2071, वादग्रस्त भूमि का नक्शा व जमाबन्दी संवत् 2068-2017 प्रस्तुत किये गये थे। जिससे प्रथम दृष्टया ही साबित था कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट की कब्जेशुदा भूमि है। प्रकरण में जहाँ तक खेत खसरा नम्बर 6/2 के नये खसरा नम्बर 7 के रूप में पैमूद होने का प्रश्न है, इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष तहसीलदार (भू-अभिलेख), बीकानेर द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिससे साबित होता है कि खसरा नम्बर 6/2 की भूमि खसरा नम्बर 7 के रूप में पैमूद हुई है। ऐसीस्थिति में वादग्रस्त भूमि के कब्जे व वादग्रस्त भूमि के नये

रूप में पैमूद होने का प्रश्न है, इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष तहसीलदार (भू-अभिलेख), बीकानेर द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिससे साबित होता है कि खसरा नम्बर 6/2 की भूमि खसरा नम्बर 7 के रूप में पैमूद हुई है। ऐसीस्थिति में वादग्रस्त भूमि के कब्जे व वादग्रस्त भूमि के नये

खसरा नम्बर का प्रश्न है, दोनों की स्थितियाँ अपीलांट के वादग्रस्त भूमि पर उनके हक व हकूक को साबित करती है।

प्रकरण में जहाँ तक नये खसरा नम्बर 7 जोकि एक बड़ा खसरा नम्बर है, पर अन्य सह खातेदारों की भूमि निहित होने का प्रश्न है, उक्त तथ्य वादी व अन्य सह खातेदारों की भूमि के सीमाज्ञान से संबंधित है। वादग्रस्त भूमि का यदि सीमाज्ञान करवाया जाता है तो यह स्थिति स्वमेव साबित हो जाती है कि किस खातेदार का कितनी भूमि पर कब्जा है तथा मौके पर एक-दूसरे की भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न स्वमेव ही निर्धारित हो जाता। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की तरफ कतई गौर नहीं करते हुए मात्र यह अंकित करते हुए भी सहखातेदारी भूमि में स्पेसिफिक भूमि पर वादी का कब्जा साबित नहीं होता है, अपने कृतव्यों के निर्वहन की भंलीभांति पालना नहीं की गई है। किसी भी खातेदार के अधिकारों को मात्र सरसरी तौर पर समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्नगत भूमि पर वादी/प्रतिवादीगणों के हक व हकूकों की समुचित जांच की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती।




8.

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 31-07-2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वाद प्रक्रिया को अपनाते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विधि के परिप्रक्ष्य में अवलोकन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9.

निर्णय आज दिनांक 19-12-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(रामरतन सूद)  
राजस्थान हाईकोर्ट  
बीकानेर प्राधिकारी  
बीकानेर

